235

संo– 466 /XXVIII–5–2012–34/2012

प्रेषक,

सुनीलश्री पांथरी
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
उत्तराखण्ड, देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग–5 **देहरादूनः** **दिनांकः 11 अप्रैल, 2012**

विषय–वित्तीय वर्ष 2012–13 में अनुदान संख्या–12, 30 एवं 31 के अन्तर्गत वचनबद्ध/अवचनबद्ध मदों के लिए वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर मुख्य सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 193/XXVII(1)/2012 दिनांक 30.03.2012 एवं पत्र संख्या 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28.03.2012 के अनुपालन में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2012–13 में बजट का आवंटन इन्टरनेट के माध्यम ये एन0आई0सी0 द्वारा विकसित साफटवेयर द्वारा सुनिश्चित किये जाने के अनुपालन में वचनबद्व/अवचनबद्ध मदों के लिये लेखानुदान में स्वीकृत प्राविधान के सापेक्ष अनुदान सं0–12 के अन्तर्गत आयोजनागत मदों में **₹4168.52** लाख एवं आयोजनेत्तर मदों में **₹13553.55** लाख, अनुदान सं0–30 के अन्तर्गत आयोजनागत मदों में **₹242.85** लाख तथा अनुदान सं0–31 के अन्तर्गत आयोजनागत मदों में **₹110.69** लाख इस प्रकार कुल **₹18075.61** लाख **(₹ एक अरब अस्सी करोड़ पचहततर लाख इकसठ हजार मात्र)** की धनराशि संलग्न हार्ड कॉपी के अनुसार निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त करते हुये आपके निवर्तन पर रखते हुये व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1. अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय उसी मद में किया जायेगा, जिसके लिये यह स्वीकृति दी जा रही है।
2. व्यय करने के पूर्व जिन मामलों मे बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हों, उनमें व्यय करने के पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
3. किसी भी शासकीय व्यय हेतु Procurement Rules, 2008 वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–पांच भाग–1 (लेखा नियम), आय व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) व वित्त विभाग–1 के शासनादेश संख्या– 267/XXVII(1)/2008 दिनाक 27 मार्च 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
4. यह उल्लेखनीय है कि व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है व्यय करते समय मितव्ययिता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
5. वित्त विभाग के शासनादेश सं0–193/XXVII(1)/2012 दिनांक 30.03.2012 एवं शासनादेश सं0–183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28.03.2012 में निहित निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित किया जायेगा।

..................2

से सम्परीक्षित प्रतिपूर्ति के देयक प्रस्तुत किये जाय, इसके अभाव में प्रतिपूर्ति दावों के भुगतान में कठिनाई/विलम्ब न हो।

7. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2012–13 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–12, 30 एवं 31 के अन्तर्गत संलग्नकों में वर्णित लेखाशीर्षकों की प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 193/XXVII(1)/2012 दिनांक 30.03.2012 के अनुपालन में जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नः यथोक्त।

भवदीय,

(सुनीलश्री पांथरी)
उप सचिव

सं0–466 (1)/XXVIII–5–2012–34/2012 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी ।
2. महालेखाकार, उत्तराखण्ड ।
3. निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।
5. बजट राजकोषीय, नियोजन व संसाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0–3/नियोजन विभाग/एन0आई0सी0।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(सुनीलश्री पांथरी)
उप सचिव